ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन योजना से आत्मनिर्भर बनी रेनू देवी
(पृष्ठ – 02)

सतत् जीविकोपार्जन योजना से संवरा सरोज दीदी का जीवन
(पृष्ठ – 03)

मुश्किल घड़ी में सतत् जीविकोपार्जन योजना बना सहारा
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – जनवरी 2025 ।। अंक – 42

समूह आधारित जीविकोपार्जनः सतत् जीविकोपार्जन योजना का प्रभावी मॉडल

सतत् जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार का एक लोक कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के अत्यंत निर्धन और वंचित परिवारों को गरीबी से निकालकर उन्हें स्थायी जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराना है। यह योजना समूह आधारित जीविकोपार्जन मॉडल पर आधारित है, जो सामुदायिक प्रयासों और संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।

समूह आधारित मॉडल का मुख्य उद्देश्य

1. अत्यंत निर्धन परिवारों की पहचान कर उन्हें जीविकोपार्जन के स्थायी साधन उपलब्ध कराना।
2. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सामूहिक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना।
4. प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग और पर्यावरण अनुकूल जीविकोपार्जन के साधनों को प्रोत्साहित करना।

समूह आधारित मॉडल की प्रमुख विशेषताएं

1. **आर्थिक सशक्तीकरण :** योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों का चयन करके उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। संबंधित ग्राम संगठन के माध्यम से लाभार्थी को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान किया जाता है। लाभार्थी को सामूहिक बचत और लघु उद्यमों में निवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। आय में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाता है।
2. **समुदाय का सशक्तिकरण :** समूह आधारित मॉडल सामुदायिक सहयोग और एकजुटता को प्रोत्साहित करता है। यह सामाजिक असमानताओं को कम करने में सहायक है और सामूहिक प्रयासों से सामुदायिक विकास को सुनिश्चित करता है।
3. **स्थायी जीविकोपार्जन के साधन :** योजना के तहत लाभार्थी को कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, और अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है। इन व्यवसायों को दीर्घकालिक और लाभकारी बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
4. **नवाचार और तकनीकी हस्तक्षेप :** समूहों को नई तकनीकों, डिजिटल टूल्स, और आधुनिक व्यापारिक मॉडलों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इससे उनके व्यवसाय संचालन की क्षमता बढ़ती है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभ

1. **महिला सशक्तिकरण :** अत्यंत निर्धन परिवारों को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ परिवार और समुदाय में उनकी स्थिति को भी सुदृढ़ किया गया है।
2. **आर्थिक स्थिरता :** समूह के माध्यम से सामूहिक बचत और निवेश के कारण गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। गरीबी से बाहर निकलने और आत्मनिर्भर बनने के लिए परिवारों को नई संभावनाएँ मिल रही हैं।
3. **रूचि के अनुरूप व्यवसाय का संचालन :** पर्यावरण अनुकूल तरीकों से जीविकोपार्जन साधनों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। जलवायु अनुकूल कृषि, पशुपालन, लघु व्यवसाय जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है।

बिशेष योजनाएँ

- योजना को और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।
- लाभार्थियों के उत्पादों की बिक्री हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी ब्रांडिंग और प्रचार–प्रसार के अवसर दिए जा रहे हैं।

समूह आधारित जीविकोपार्जन मॉडल सतत् जीविकोपार्जन योजना का एक अनूठा और प्रभावी पहलू है। यह न केवल ग्रामीण समुदायों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायक है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। यह मॉडल बिहार में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो आने वाले वर्षों में और अधिक प्रभावी साबित होगा।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से आत्मनिर्भर बनी रेनू देवी

जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के बेला गाँव की रहने वाली रेनू देवी, अपने बच्चे और सास–ससुर के साथ रहती हैं। उनके पति के निधन के बाद उनका परिवार आर्थिक संकट में घिर गया था। रेनू देवी ने खेती और दैनिक मजदूरी से घर चलाने की कोशिश की, लेकिन न्यूनतम जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो रहा था।

वर्ष 2021 में, सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत रेनू देवी को चुना गया। चयन के उपरांत उन्हें क्षमता वर्धन और उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षित किया गया। योजना के तहत जीविकोपार्जन निवेश निधि की पहली किस्त के रूप में मिली राशि का उपयोग कर उन्होंने किराना दुकान शुरू की। उन्हें सात माह तक प्रति माह 1000 रुपये जीविकोपर्जन अंतराल सहायता राशि के रुप में दिया गया। इसके बाद, दूसरी किस्त प्राप्त होने पर उन्होंने बकरी पालन का काम भी शुरू किया। धीरे–धीरे उनके प्रयासों और मेहनत का फल मिलने लगा। वर्तमान में, रेनू देवी किराना दुकान, बकरी पालन, श्रृंगार सामग्री की बिक्री और खेती से हर महीने 11000–12000 रूपये की आय अर्जित कर रही हैं।

वर्तमान में रेनू देवी की कुल संपत्ति का मूल्य अब लगभग 1 लाख 90 हजार रुपये का हो गया है। उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना बीमा भी कराया है और विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया है। अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलवा रही है।

रेनू देवी आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी सही योजना और प्रयासों से सफलता पाई जा सकती है। भविष्य में वह अपनी दुकान का अधिक विस्तृत करना चाहती हैं ताकि अधिक आय अर्जित कर सकें।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से सुनीता देवी बनी आत्मनिर्भर

मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड के रामनगर पंचायत स्थित चंदनपुरा गाँव की रहने वाली सुनीता देवी, एक गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पति मंटु मंडल मजदूरी करके परिवार का पालन–पोषण करते थे, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उनका जीवन संघर्षों से भर गया। चार बच्चों का भरण–पोषण की जिम्मेदारी अकेले सुनीता देवी पर आ गई, और घर चलाना बेहद कठिन हो गया।

वर्ष 2014 में, जब जीविका ने जमालपुर प्रखंड में कार्य करना शुरू किया, तो सुनीता देवी माया जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनीं। समूह की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हुए उन्होंने बचत शुरू की। शराबबंदी के बाद सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उनका चयन लाभार्थी के रूप में किया गया। योजना से जुड़ने के बाद उन्हें तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने गाय पालन करने की इच्छा व्यक्त की।

योजना के तहत सुनीता देवी को विशेष निवेश निधि मद की 10,000 रूपये एवं जीविकोपार्जन निवेश निधि मद से 50,000 रूपये दी गई। इस राशि से उन्होंने एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदी और चारे का प्रबंध किया। गाय से मिलने वाला दूध स्थानीय बाजार में बेचने से प्रतिदिन उन्हें 300–400 रूपये तक की आय होने लगी। उन्होंने आमदनी के पैसे एवं दूसरी क़िस्त के पैसों से एक और गाय भी खरीदी है।

सुनीता देवी के पास दो गाय हैं, जिसके दूध का बिक्री से हर माह 15,000 से 18,000 रूपये तक की आय अर्जित होती है। इस आय से न केवल वह अपने बच्चों की पढ़ाई–लिखाई करा रही हैं, बल्कि परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन भी बिता रही हैं। इस प्रकार सतत् जीविकोपार्जन योजना ने उनके जीवन को नई दिशा दी है।

संघर्ष से सफलता तक का सफर

सहरसा जिला के कटैया प्रखंड के पटोरी ग्राम पंचायत की निवासी सोनम मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है। उनके पति लाल मुर्मू देशी शराब का निर्माण और बिक्री का काम करते थे। वर्ष 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद उनकी आय का मुख्य स्रोत बंद हो गया। वर्ष 2017 में उनके पति का निधन हो गया, जिससे सोनम पर तीन बच्चों और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई।

पति के निधन के बाद, सोनम खेतिहर मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही थी। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी कि तीन वक्त का भोजन जुटाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। कभी देवर से मदद मिल जाती, तो कभी मायके से अनाज आता था।

इस कठिन समय में, जीविका दीदियों ने सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत उनका चयन किया। उनकी परिस्थिति को समझते हुए उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना में शामिल किया गया और उन्हें किराना दुकान संचालन करने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता राशि विभिन्न किस्तों में प्रदान की गयी। इस सहायता से उन्होंने किराना दुकान शुरू की तथा श्रृंगार का सामान बेचना भी शुरू किया।

धीरे–धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने एक डीप फ्रीजर खरीदा। अब वह दूध, दही और अन्य उत्पादों की बिक्री भी कर रही हैं। वर्तमान में, सोनम हर महीने लगभग 20,000 रुपये कमा रही हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा रही है। आज सोनम अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के सपने देख रही हैं और अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से संघरा सरोज दीदी का जीवन

सरोज देवी नवादा जिला के नवादा सदर प्रखंड के औरैना पंचायत की निवासी हैं। इनके पति दैनिक मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी की कमाई से ही पुरे परिवार का भरण–पोषण हो रहा था। काम करने के दौरान एक दिन अचानक उनके पति बीमार पड़ गये। इलाज के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद सरोज देवी बेसहारा हो गई। परिवार के भरण–पोषण के लिए घर से बाहर जाकर मजदूरी का काम करना पड़ रहा था क्योंकि पूरे परिवार का बोझ सरोज देवी के उपर आ गया था। काम नहीं मिलने पर कई बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

सरोज देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए जुलाई 2019 में आंचल जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत किया गया। योजना अंतर्गत विशेष निवेश निधि के तहत मिले 10000 रुपये से सरोज देवी ने दुकान बनाई। जीविकोपार्जन निवेश निधि की राशि 20000 रुपये से ग्राम संगठन के द्वारा किराना का सामान खरीद कर उन्हें दिया गया। संपत्ति मिलने के बाद सरोज देवी अपना व्यवसाय अच्छे से चलाने लगती है। 7 महीने तक जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि के रुप में उन्हें एक हजार रुपये प्रति माह प्रदान किया गया।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिले किराना दुकान और मार्गदर्शन से सरोज देवी और उसके परिवार के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वह किराना दुकान को अच्छे से चला रही है, जिससे प्रतिदिन का बिक्री 1200 रुपये से 1500 रुपये है । इसके अलावा वह तीन कट्ठा जमीन पर सब्जी का खेती भी करती हैं और साथ ही बकरी पालन का कार्य भी करती है। इन गतिविधियों से उनकी औसत मासिक आमदनी लगभग 8000 रुपये से 9000 रूपये हो जाती है। वर्तमान में सभी व्यवसाय को मिलाकर कुल संपत्ति लगभग 85000 रुपये का है।

मुश्किल घड़ी में सतत् जीविकोपार्जन योजना बना सहारा

शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के केवटी पंचायत की निवासी सोना देवी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पति, विनोद शर्मा, मजदूरी का काम करते थे, लेकिन शराब पीने की आदत ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दिया। सोना देवी को दो बेटियाँ और चार बेटे हैं। गरीबी के कारण हीं सोना देवी ने अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकी थी।

सोना देवी का जीवन तब और कठिन हो गया जब उनका बेटा राकेश शर्मा, जो सातवीं कक्षा में पढ़ता था, स्कूल जाते समय ट्रेन से गिरकर दोनों पैरों से दिव्यांग हो गया। यह घटना उनके लिए एक बड़ा आघात था और उनका दुख और भी बढ़ गया। इस संकट के बाद, सोना देवी ने अपने परिवार के साथ मुंबई में जाकर काम करना शुरू की। वह आलू के गोदाम में काम कर 300 रुपये रोजाना कमाती थीं, जिससे परिवार का पालन पोषण करती थीं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था इसके बावजूद वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी।

वर्ष 2018 में, सोना देवी अपने परिवार के साथ अपने गांव लौट आईं और दूसरे के खेत में मजदूरी करने लगीं। इस काम से वह महीने का 3000 से 4000 रुपये कमा पाती थीं, फिर भी उन्हें दो वक्त का भोजन जुटाने में कठिनाई होती थी। इसी बीच, वर्ष 2020 में जब शेखपुरा जिले में सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत सर्वे किया जा रहा था, तो आंचल जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा सोना देवी का चयन किया गया। सोना देवी को 3 दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें उन्हें व्यवसाय संचालन की जानकारी दी गई।

योजना के तहत सोना दीदी को किराना दुकान हेतु विशेष निवेश निधि के तहत 10 हजार रुपये, जीविकोपार्जन निवेश निधि 20 हजार रुपये की परिसंपत्ति प्रदान की गयी। इसके अलावा 7 माह तक प्रति माह एक हजार रुपये जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि के रूप में प्रदान किया गया।

सोना देवी ने इस पैसे से किराना दुकान शुरू किया। दुकान शुरू होने के बाद, वह तीन महीने तक दुकान चलाने में सक्षम रही और फिर उन्हें रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद, एक साल बाद उन्हें ग्रेजुएशन ट्रेनिंग भी मिली। दुकान के संचालन के बाद, सोना देवी को दूसरी किस्त के रूप में 18 हजार रुपये और मिले, जिससे उन्होंने दुकान की मरम्मत और छत पर करकट लगवाया ताकि बारिश में पानी का नुकसान न हो।

अब सोना देवी का किराना दुकान अच्छी तरह से चल रहा है और वह प्रतिदिन 2000 से 2500 रुपये की बिक्री करती हैं। वर्तमान में उनकी मासिक आमदनी लगभग 10,000 से 15,000 रुपये हो गई है। आमदनी के पैसे से उन्होंने एक गाय खरीदी और गायपालन शुरू किया। वर्तमान में उनके पास दो गाय हैं, जिनसे उन्हें अतिरिक्त आय हो रही है। उनके पास कुल 1 लाख 30 हजार रुपये की परिसंपत्ति है और बैंक में 20 हजार रुपये जमा है।

सोना देवी ने अपने दो बेटों और दो बेटियों की शादी भी कर दी है। वह हनुमान जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं और हर सप्ताह समूह की बैठक में भाग लेती हैं, जहां वह 10 रुपये की बचत भी जमा करती हैं। उन्हें जन वितरण प्रणाली के तहत राशन, नल–जल योजना और बिजली का भी लाभ मिल रहा है। साथ ही, आयुष्मान कार्ड के जरिए उन्हें स्वास्थ्य सेवा का भी लाभ मिल रहा है।

सोना देवी के जीवन में अब स्थिरता और आत्मनिर्भरता आ गई है। वह अपने परिवार के साथ संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी रही हैं। वह सतत् जीविकोपार्जन योजना की तीसरी किस्त लेकर नाश्ता का दुकान खोलने की योजना बनायी है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार